रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3 Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 55] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 12, 1973/फाल्गुन 21, 1894
No. 55] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 12, 1973/PHALGUNA 21, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 12th March 1973

G.S.R. 63(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the Central Government hereby appoints the date of publication of this notification in the Official Gazette as the date on which the said Act shall come into force in the State of Haryana.

[No. F. 11014/3/72-FRY/WLF.]

कृषि मंत्रालय

(कृषि विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 12 मार्च, 1973

सा० का० नि० 63(अ).—वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को ऐसी तारीख नियत करती है, जिस तारीख को उक्त अधिनियम हरियाणा राज्य में प्रवृत्त होगा।

[सं० फा० 11014/3/72—एफ० आर० वाई० (डब्लयू० एल० ए०)]

THE WILD LIFE PROTECTION CENTRAL RULES, 1973

G.S.R. 64(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 63 of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. **Short title, extent and commencement.**—(1) These rules may be called the Wild Life (Stock Declaration) Rules, 1973

(2) They shall extend to the whole of the State of Haryana

(3) They shall come into force on the 12th March, 1973.

2. **Declaration by manufacturer of, dealer or taxidermist in, animal article etc.**—Every manufacturer of, or dealer in, animal article or every dealer in captive animals, trophies or uncured trophies or every taxidermist shall, within fifteen days from the commencement of the Wild Life (Protection) Act, 1972, declare, as required by sub-section (3) of section 44 of the said Act, his stocks of animal articles, captive animals, trophies and uncured trophies, as the case may be, as on the date of such declaration to the Chief Wild Life Warden in the form given below

FORM

(*See* rule 2)

FORM OF DECLARATION

To,

The Chief Wild Life Warden,
State of Haryana.

1. Full name and address of the manufacturer/dealer/taxidermist making the declaration.

2. Actual stock held on the date of declaration in animal articles—
   - (i) Description including name of animal from which derived.
   - (ii) Number
   - (iii) Dimension or weight
   - (iv) Premises where kept

3. Actual stock held on the date of declaration in captive animals—
   - (i) Species and sex
   - (ii) Number
   - (iii) Adult or Juvenile
   - (iv) Premises where kept

4. Actual stock held on the date of declaration in trophies—
   - (i) Description including specie of animal.
   - (ii) Number.
   - (iii) Adult or Juvenile.
   - (iv) Premises where kept

5. Actual stock held on the date of declaration in uncured trophies—
   - (i) Description including specie of animal.
   - (ii) Number
   - (iii) Dimension or weight
   - (iv) Premises where kept

6. Remarks, if any

I do hereby declare that the information given above is true to the best of my knowledge and belief.

Signature of the person making declaration.
Date........ ....
Place . .. .

[No. F. 11014/5/72-FRY/WLF.]
RANJITSINH, Dy. Secy.

वन्य प्राणी संरक्षण केन्द्रीय नियम, 1973

सा० का० नि० 64(अ).—वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 63 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वन्य प्राणी (स्टाक-घोषणा) केन्द्रीय नियम, 1973 है ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण हरियाणा राज्य पर है ।

(3) ये 12 मार्च, 1973 को प्रवृत्त होंगे ।

2. जान्तव वस्तु आदि के विनिर्माता, व्यापारी या चर्म प्रसाधक द्वारा घोषणा.—जान्तव वस्तुओं का प्रत्येक विनिर्माता या व्यापारी अथवा पकड़े गए पशुओं, ट्राफियों या असंसाधिक ट्राफियों का प्रत्येक व्यापारी अथवा प्रत्येक चर्म प्रसाधक, वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रारम्भ से पन्द्रह दिन के भीतर, उक्त अधिनियम, की धारा 44 की उपधारा (2) द्वारा यथाअपेक्षित मुख्य वन्य-प्राणी वार्डन को, यथास्थिति जान्तव वस्तुओं, पकड़े गए पशुओं, ट्राफियों और असंसाधित ट्राफियों के अपने स्टाक की जैसा कि यह घोषणा की तारीख को हो, घोषणा नीचे दिए गए प्रारूप में करेगा ।

प्रारूप

(नियम 2 देखिए)

घोषणा का प्रारूप

सेवा में,

मुख्य वन्य प्राणी वार्डन,

हरियाणा राज्य

1. [घोषणा करने वाले विनिर्माता/व्यापारी/चर्म प्रसाधक का पूरा नाम और पता ।

2. जान्तव वस्तुओं का घोषणा की तारीख को धारित वास्तविक स्टाक—

(1) वर्णन, जिसमें उस पशु का, जिससे प्राप्त हुआ है, नाम सम्मिलित हो ।

(2) संख्या ।

(3) विमा या भार ।

(4) परिसर जहां रखा गया हो ।

3. पकड़े गए पशुओं का घोषणा की तारीख को धारित वास्तविक स्टाक—

(1) जाति और लिंग ।

(2) संख्या ।

(3) वयस्क या किशोर ।

(4) परिसर जहां रखा गया हो ।

4. ट्राफियों का घोषणा की तारीख को धारित वास्तविक स्टाक—

(1) वर्णन, जिसमें पशु की जाति सम्मिलित हो ।

(2) संख्या ।

(3) विमा या भार ।

(4) परिसर, जहां रखा गया हो ।

5. असंसाधित ट्राफियों का, घोषणा की तारीख को धारित वास्तविक स्टाक—

(1) वर्णन, जिसमें पशु की जाति सम्मिलित हो ।

(2) संख्या ।

(3) विमा या भार ।

(4) परिसर, जहां रखा गया हो ।

6. टिप्पणियां, यदि कोई हों ।

मैं एतद्द्वारा यह घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है ।

घोषणा करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर

तारीख .....

स्थान.....

[सं० फा० 11014/5/72—एफ०आर०वाई० (डब्ल्यू०एल०एफ०)]

रणजीत सिंह, उप सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI 1973